राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–5649 / 2022

राजकुमारी खोरवाल (कर्मचारी आई.डी.–आरजेएसआर2010034004016)

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर व अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 25.11.2022

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री विक्रम सिंह राठौड़, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थीया के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थीया की अपील में यह तथ्य अंकित किये गये है कि उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, चितौड़गढ में कार्यरत थी। आक्षेपित आदेश दिनांक 17.10.2022 के द्वारा अपीलार्थीया का स्थानांतरण उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, भीलवाड़ा के रिक्त पद पर किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थीया को पूर्व में दिनांक 13.08.2021 को उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, चितौड़गढ से उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, बांसवाड़ा के पद पर पदस्थापित किया गया था, जो मंजु परमार के स्थान पर पदस्थापित किया गया था। मंजु परमार के पक्ष में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिनांक 19.08.2021 पारित किया गया, जिसके उपरांत अपीलार्थीया चितौड़गढ में ही कार्यरत रही। बाद में आदेश दिनांक 17.06.2022 के द्वारा अपीलार्थीया का स्थानांतरण जालौर किया गया। परंतु इसके पश्चात् अपीलार्थीया का स्थानांतरण उक्त स्थान से निरस्त करते हुए पुनः अपीलार्थीया को चितौड़गढ पदस्थापित रखा गया। इसके संबंध में आदेश दिनांक 05.07.2022

(अनुलग्नक–7) पारित किया गया। अपीलार्थी का तर्क है कि अपीलार्थीया का पूर्व में चितौड़गढ से जालौर दिनांक 03.07.2022 को ही स्थानांतरण हुआ था। इसके पश्चात् 91 दिवस की अल्प अवधि में अपीलार्थीया का स्थानांतरण चितौड़गढ जिले से भीलवाड़ा कर दिया गया। बार–बार बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकताओं के स्थानांतरण आदेश जारी कर अपीलार्थीया को हैरान व परेशान किया जा रहा है।

3. अपीलार्थीया की ओर से दिये गये तर्कों पर विचार किया। अपीलार्थीया उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, चितौड़गढ में सितंबर, 2020 से कार्यरत है। पूर्व में अपीलार्थीया का स्थानांतरण चितौड़गढ अवश्य किया गया था और अपीलार्थीया को कार्यमुक्त किया गया था, परंतु अपीलार्थीया ने जालौर में कार्यग्रहण किया हो, यह प्रकट नहीं होता है। जालौर में स्थानांतरण को निरस्त करते हुए अपीलार्थीया को पुनः चितौड़गढ रखा गया। इस प्रकार अपीलार्थीया सितंबर, 2020 से चितौड़गढ में कार्यरत है। यह नहीं माना जा सकता कि अपीलार्थीया का अल्प अवधि में ही स्थानांतरण किया जा रहा हो। स्थानांतरण सेवा का एक भाग है एवं यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि किस कर्मचारी की सेवा किस स्थान पर ले। अतः आक्षेपित आदेश त्रुटिपूर्ण होना नहीं माना जा सकता।
4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं आधारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है, जिसे एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।
5. आदेश आज दिनांक 25.11.2022 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)